45

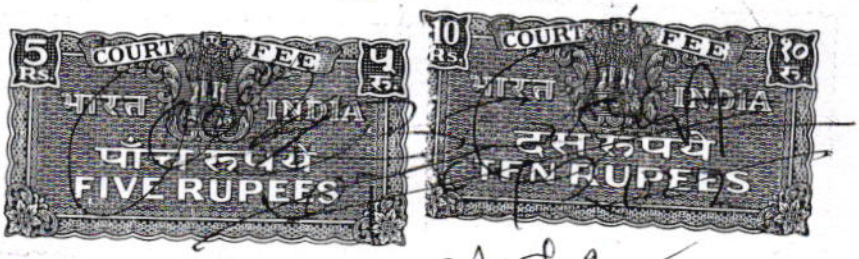

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००२ पुनरावलोकन (रिव्यू)

रिव्यू 2174-II/2002

श्री एस० के० अवस्थी अभि० द्वारा आज दि० 7/9/02 को प्रस्तुत।

सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

7 SEP 2002

दिनेशप्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री कौशलप्रसाद पाण्डेय (मृत) वारसान

१। श्रीमती कलावती बेवा श्री दिनेशप्रसाद

२। अनिलकुमार पुत्र श्री दिनेशप्रसाद

३। सुनीलकुमार ४। सूर्यनारायण

५। विश्वजीत पुत्रगण श्री दिनेशप्रसाद नाबालिगान व सरपरस्त माता श्रीमती कलावती स्वयं

६। कुमारी अर्चना ७। कुमारी प्रवीण

८। कुमारी कल्पना ९। कुमारी रचना सभी पुत्रियां नाबालिगान श्री दिनेशप्रसाद व सरपरस्त माता कलावती स्वयं सभी निवासीगण लक्ष्मणपुर, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म०प्र० -- प्रार्थीगण

विरुद्ध

१। श्री रामसजीवन पुत्र श्री राममनोहर

२। मु० कुसुम कली पत्नी श्री रामकुमार

३। रामसखी बेवा पत्नी श्री मिथिलाप्रसाद

४। राजेन्द्रप्रसाद ५। नागेन्द्रप्रसाद ६। सतेन्द्र प्रसाद ७। ज्ञानेन्द्रप्रसाद सभी पुत्रगण श्री मिथिलाप्रसाद

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

रिव्यु– 2174–दो/02 जिला –रीवा

क्रमांक तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.7.16	आवेदक की ओर से श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये तथा उनके द्वारा तर्क में कहा गया है कि मूल निगरानी प्रकरण कमांक 1208/95 में पारित आदेश दिनांक 13.6.2002 में आवेदक मृत के विरूद्व आदेश कर दिया गया है जो विधि के विरूद्व है। 2– मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा आवेदक अधिवक्ता के तर्कानुसार प्रकरण में किसी भी आदेश पत्रिका नहीं में आवेदक मृत का हवाला आया है और न ही आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ता द्वारा 22 नियम (4) सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत किया और न ही निगरानी मेमों में संशोधन किया गया है । इसलिये अभिलेख के आधार पर यह तर्क मानने योग्य नहीं है। आवेदक अधिवक्ता का यह तर्क सिरे से खारिज किया जाता है। 3– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1208/95 पारित आदेश दिनांक 13.6.02 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 2174–दो/02 के तथ्योंपर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। 4– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक	

निगरानी 1208/95 में वर्णित जिनका निराकरण आदेश दिनांक 13.6.02 से किया जा चुका है।

5– रिव्यु प्रकरण कमांक 2174–दो/02 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार मेंसंचय हेतु भेजाजावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य